


निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 8(विविध) अकादमी अवकाश/अकाद/निकाशि/03/11/516 दिनांक: 08 अक्टूबर, 2013

आदेश


मध्य प्रदेश की सीमा के निकटवर्ती जिलों पर अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा विषय विशेषज्ञ के रूप में प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याता को बुलाया जाता है तो उनके द्वारा उक्त संस्थान से प्राप्त उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, उस अवधि को कर्तव्य (Duty) पर माना जावेगा। इस हेतु निदेशालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रस्थान करना अनिवार्य होगा।


(निधीन जैन)
निदेशक

क्रमांक: एफ 8(विविध) अकादमी अवकाश/अकाद/निकाशि/03/11/516 दिनांक: 08 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को उनकी डायरी संख्या: 5151 दिनांक: 31.07.13 के संदर्भ में।
2. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर को उनके पत्रांक: 68/03/2013/चयन दिनांक: 27.07.2013 के संदर्भ में।
3. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राज0, जयपुर को उनकी डायरी संख्या: 6298 दिनांक: 02.08.13 के संदर्भ में।
4. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य, मध्य प्रदेश से सटती सीमा के समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान को पालनार्थ।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
- ✓ 8. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाइट प्रभारी, निदेशालय। कृपया पत्र को निदेशालय की बेवसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


(डॉ0 राजेश शुक्ला)
संयुक्त निदेशक